

XXXIX(a)BR(H)-11

दिलीप सिंह विरुद्ध श्रीमती गंगा प्रजापति

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग02619-दो/14

जिला - नरसिंहपुर

| थान तथा<br>नांक | कार्यवाही तथा आदेश   | पक्षकारों एवं<br>अभिभाषकों आदि<br>के हस्ताक्षर                   |
|-----------------|--|--|
| ५.८.१५          | <p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 250 का है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण अंतिम आदेश के साथ किए जाने के आदेश दिए हैं और प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p> | <p>(एम.के.सिंह)<br/>सदस्य,<br/>राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर</p> |





न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

दिलीप सिंह जाट आत्मज स्व. कन्हैया लाल जाट  
निवासी नरसिंहपुर तहसील व जिला नरसिंहपुर

.... आवेदक

बनाम

श्रीमती गंगा प्रजापति पत्नि गोपाल प्रसाद प्रजापति

निवासी शंकराचार्य वार्ड, कंदेली तहसील व जिला नरसिंहपुर

... अनावेदक

1 वी प्रत. एन.ए.  
दिनांक 17-7-14  
म.प्र.